

ESTD : 1949

• NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
(M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319105336

GOPAL KHANDELWAL
TREASURER
(M) 9837088120

(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 397

दिनांक: 03.12.2021

सेवा में,

श्रीमान अभित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:-दिनांक 10 दिसंबर 2021 को आयोजित मंडलीय उद्योग बंधू की बैठक हेतु कुछ आवश्यक विषय महोदय,

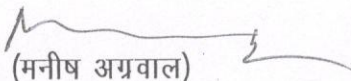
हम आपके प्रति आभारी हैं कि आपने चेंबर के निवेदन को स्वीकार करते हुए दिनांक 1 दिसंबर 2021 को चेंबर के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया और आगरा के विकास एवं उद्योग/व्यापार के विषयों के सम्बन्ध में नेशनल चौम्बर के प्रत्यावेदन को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुना।

महोदय, जैसा कि बैठक के दौरान आपने कहा था, हम निम्नलिखित आवश्यक विषयों को आगामी मंडलीय उद्योग बंधू की बैठक में निस्तारित/अग्रेषित करने के लिए आपके समक्ष इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई हेतु निर्देशित कर अनुग्रहित करें तथा जिन विषयों पर अग्रिम कार्रवाई आवश्यक है उन्हें अपनी सिफारिश के साथ संबंधित विभागों को अग्रेषित करने की अनुकंपा करें:-

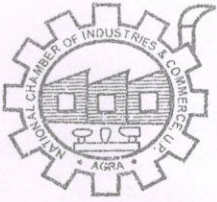
1. औद्योगिक भूखंडों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने के संबंध में
2. औद्योगिक एवं व्यावसायिक भवनों पर संपत्ति कर पर ब्याज माफी के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के संबंध में
3. इंटिग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर में आगरा के अनुरूप सभी उद्योगों को स्थान दिलाने के संबंध में
4. ट्रांसपोर्ट नगर को शहर से बाहर शिफ्ट करने के संबंध में
5. शहीद स्मारक के रखरखाव के संबंध में
6. जोधपुर झाल जल संरक्षण के संबंध में
7. सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य के सूचना केंद्र ऑब्लिक रिसर्च सेंटर का सुदृढीकरण एवं पर्यटकों हेतु उपयुक्त फर्नीचर से सुसज्जित कर संचालन के संबंध में
8. आगरा में आईटी पार्क को शीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में
9. शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए सिटी गैस वितरण के कार्य में गति लाने के संबंध में
10. आगरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) की स्थापना के संबंध में
11. आगरा में यमुना नदी में डिसिल्टिंग के संबंध में
12. आगरा में विधि व्यवस्था के संबंध में

सादर,

भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि- श्रीमती अमिता वर्मा रस्तोगी जी, संयुक्त आयुक्त - उद्योग, सचिव मंडलीय उद्योग बंधू, आगरा



ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
(M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319105336

GOPAL KHANDELWAL
TREASURER
(M) 9837088120

(REGISTRATION नमसीआईसी) / 01 / 2021-22 / 398

दिनांक: 03.12.2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- औद्योगिक भूखंडों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

औद्योगिक भूखंडों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने का प्रकरण पिछले कई वर्षों से चल रहा है। विभिन्न सरकारों में माननीय सक्षम मंत्रियों के समक्ष इस विषय को उठाते हुए अपना प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूप से भी देते आ रहे हैं और सभी माननीय मंत्री महोदयों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे क्रियान्वयन कराने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन आज तक इसका कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

महोदय, भूमि के उपयोग में हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। अतः बिना भू-उपयोग परिवर्तन के इन पट्टाधारी औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की नीति पर कार्रवाई की आवश्यकता है।

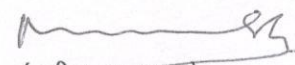
फ्री होल्ड की नीति से व्यापारी के साथ सरकार को भी लाभ है। सरकार को भी फ्री होल्ड शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होगा। इससे लगभग 30 प्रतिशत औद्योगिक भूमि तुरंत ही नए उद्योग के लिए उपलब्ध होगी, व्यापारी अपनी बची हुई भूमि पर परिवार अथवा वाहरी व्यक्ति के साथ नए व्यापार स्थापित करने की स्थिति में होगा, इससे सरकार की नये उद्योग लगाने की नीति को स्वतः ही बढ़ावा मिलेगा एवं नये उद्योगों से प्राप्त होने वाले कर में भी भारी वृद्धि होगी एवं सरकार के नियंत्रण में एवं नियमों में कोई विपरीत प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि फ्री होल्ड करने का अभिप्राय भूमि का भूमि प्रयोग (लैंड यूज) परिवर्तन करना नहीं है।

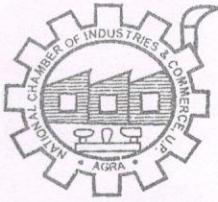
यह विषय प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़ा है और सरकार को भी इससे राजस्व की प्राप्ति होगी, अतः आपसे निवेदन कि इस मामले शासन को अनुकूल नीति बनाने के लिए अग्रसारित कर अनुग्रहीत करें और यदि उन नीतियों में कोई व्यवहारिक परेशानी आ रही हो तो हमारे संगठनों को बताई जाए जिससे कि उन्हें हल करने का सुझाव हमारे व्यापारिक संगठन देने का प्रयास करें।

आपसे विनम्र निवेदन है कि इस विषय को नीतिगत अग्रिम कार्यवाही हेतु उद्योग बन्धु लखनऊ को अग्रसारित करने की अनुकम्पा करें।

सादर,

भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL

PRESIDENT

(M) 9412154321

ANIL AGARWAL

VICE PRESIDENT

(M) 9319108920

SUNIL SINGHAL

VICE PRESIDENT

(M) 9319105336

GOPAL KHANDELWAL

TREASURER

(M) 9837088120

(REGISTRATION) एन सी आई सी / 01 / 2021-22 / 399

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- औद्योगिक एवं व्यावसायिक भवनों पर संपत्ति कर पर ब्याज माफी के प्रस्ताव को स्वीकृति करके के संबंध में

महोदय,

हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उद्यमी एवं व्यापारी संपत्ति कर जमा करने के लिए तत्पर हैं किंतु निगम के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता के कारण वे संपत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं। हम यहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि संपत्ति कर अधिनियम एवं नियमावली में कई विसंगतियां एवं अस्पष्टाएँ हैं जिनके कारण कर की गणना वास्तविक रूप से नहीं हो रही है। इन विसंगतियों की ओर हम बार-बार निगम के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं। इन विसंगतियों के चलते उद्यमी व व्यापारी चाहते हुए भी संपत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं। निगम के अधिकारियों को बार-बार इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। किंतु उन्होंने इस संबंध में रुचि लेते हुए मुख्यालय एवं शासन को इन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है जिससे कि शासन स्तर पर यह विसंगतियां दूर हो सकती थीं। जिसके परिणाम स्वरूप कर की राशि गत वर्ष की तुलना में असामान्य रूप से (4 से 5 गुना तक) बढ़ रही है। कर जमा न होने से करदाताओं पर कर की देयता प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

इसके अतिरिक्त लंबे अंतराल से बिना कर की राशि की गणना किए, पूर्वव्यापी प्रभाव से, कर की राशि पर ब्याज लगा दी गई है। महोदय आप सहमत होंगे कि ब्याज किस बात की दी जाए? कर की गणना करने से पूर्व - अर्थात् भुगतान मांगे जाने से पूर्व की तिथि से कर की राशि पर ब्याज कैसे लगाई जा सकती है, जो कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध है। इस विषय को करदाताओं द्वारा नगर निगम आगरा के समक्ष उठाया गया था और तब आगरा नगर निगम द्वारा ब्याज माफी का प्रस्ताव लगभग 3 माह पूर्व शासन को भेजा था। किंतु आज तक शासन से ब्याज माफी का प्रस्ताव लम्बित है जिसके कारण उद्यमी व व्यापारी संपत्ति कर का भुगतान करने में असमर्थ हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आगरा नगर निगम द्वारा भेजे गए ब्याज माफी के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिए अपनी सिफारिश शासन को भेजकर अनुग्रहित करें ताकि आगरा के उद्यमी व व्यापारी संपत्ति कर की सही व वाजिब राशि जमा कर सकें जिससे एक ओर सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी वहीं दूसरी ओर उद्यमियों/व्यापारियों पर प्रति वर्ष कर की देयता बढ़ने की समस्या नहीं होगी।

सादर,

भवदीय,

(मनीष अग्रवाल)

अध्यक्ष

NEW MARKET, JEONI MANDI, AGRA-282 004 (INDIA) ☎ +91-562-2623552, 2623550



(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
☎ (M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319105336

GOPAL KHANDELWAL
TREASURER
☎ (M) 9837088120

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 400

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर में आगरा के अनुरूप सभी उद्योगों को स्थान देने के संबंध में

महोदय,

हम निवेदन करना चाहेंगे कि थीम पार्क परियोजना के अंतर्गत 1050 एकड़ भूमि में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा हो चुकी है और यह कार्य नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजाइन एवं ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति होने के उपरांत उसके द्वारा औद्योगिक क्लस्टर बनाने संबंधी जानकारीयां विभिन्न स्तरों से प्राप्त की जा रही हैं। चूंकि आगरा में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एक बहु-प्रतीक्षित मांग है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर में आगरा के अनुरूप सभी उद्योगों को स्थान मिले। आगरा में आईटी पार्क के प्रारंभ होने से एवं आईटी सिटी नोएडा के निकट उसी एक्सप्रेस वे पर स्थित होने के कारण इस इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चर क्लस्टर (आईएमसी) में आईटी सिटी का बनाना आगरा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

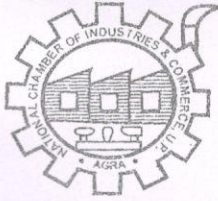
हमारी मांग है कि इस प्रस्तावित आईएमसी में 150 से 200 एकड़ भूमि आईटी सिटी, 150 से 200 एकड़ में सोलर सिटी, 200 एकड़ में गारमेंट हब तथा 200 एकड़ भूमि में फूड प्रोसेसिंग एवं हस्तशिल्प उद्योग के लिए आवंटित की जाए। आगरा आलू के उत्पादन में पुरे देश में अग्रणी है इसलिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग आगरा के अनुरूप है। इसी प्रकार हस्तशिल्प यहाँ का पारम्परिक उद्योग है। इसलिए आगरा की आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हैं।

नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा यूपीसीडा के सहायोग से आईएमसी को विकसित किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि यूपीसीडा स्तर पर अग्रिम कार्यवाही करने की अनुकम्पा करें।

सादर,

भवदीय,

(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

ESTD : 1949

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
☎ (M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319105336

GOPAL KHANDLWAL
TREASURER
☎ (M) 9837088120

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / ५०१

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में,

श्रीमान अभित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- ट्रांसपोर्ट नगर को शहर से बाहर शिफ्ट करने के संबंध में

महोदय,

वर्तमान में आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर शहर के मध्य में आने से विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। आगरा के नागरिक एवं विभिन्न संगठन कई वर्षों से इसे शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने की मांग उठाते रहे हैं। आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाए। अभी आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर को शहर से बाहर शिफ्ट किए जाने हेतु रुकता के आसपास जगह का सर्वे कराया था।

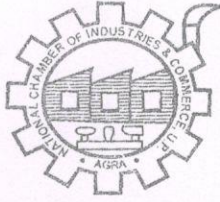
महोदय, हमारा सुझाव है कि रुकता के निकट नई दक्षिणी बाई पास की ओर ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट किया जाना बहुत ही सुविधाजनक रहेगा क्योंकि न्यू दक्षिणी बाईपास शहर के बाहर से चारों ओर सभी हाईवे मार्गों एवं अन्य मार्गों को जोड़ता है इसलिए यह वाहनों के आवागमन की दृष्टि से अत्यंत सुविधाजनक है। भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबन्ध की समस्या भी नहीं आयेगी। न्यू दक्षिणी बाईपास पर काफी जमीन उपलब्ध है जिसे किसान सस्ती दर पर विक्रय करने को तत्पर हैं।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश जारी किए जाएं कि आगरा मथुरा राष्ट्रीय राज मार्ग पर रुकता के आसपास ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करने हेतु जगह चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाई करें।

सादर,

भवदीय,

(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
(M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319105336

GOPAL KHANDLWAL
TREASURER
(M) 9837088120

(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 402

दिनांक: 03.12.2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- शहीद स्मारक के रखरखाव के सम्बन्ध में
महोदय,

हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि शहीद स्मारक पर विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि (1) शहीद स्मारक के पीछे के पार्क में बड़ी बड़ी झाड़ियां उग रही हैं। पत्थर टूटे हुए हैं। फव्वारे भी बंद हैं और पुरे पार्क की हालात बहुत ही खराब है। अगर इस पार्क में कटाई छटाई करा दी जाए तो यह बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। पार्क में शहीदों की कई प्रतिमाएं लगी हुई हैं पर किसी भी प्रतिमा के आगे न तो उनका नाम लिखा है और न ही उनके बारे में कोई जिक्र किया गया है। इन प्रतिमाओं के आगे उनका नाम व विस्तृत विवरण लिखवाया जाये ताकि शहीदों के बारे में पूरी जानकारी नई पीढ़ी को हो सके (2) स्वतंत्रता सेनानी एवं काले पानी के राजनीतिक बंदी स्वर्गीय ठाकुर राम सिंह जी की स्मृति में यहां पर एक वाचनालय स्थापित है। इसका मुख्य उद्देश्य यहां आने वाले लोगों को शहीदों के बारे में पढ़ने का अवसर और उनके याद में बनाई गई प्रदर्शनी स्थल को देखने का है और साथ ही साथ समाचार पत्रों का भी पठन करना है। महोदय, वाचनालय एवं प्रदर्शनी केंद्र प्रायः बंद रहता है। वाचनालय में किताबों के ऊपर धूल जमी रहती है और गंदगी का आलम रहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले यहां पर 14 समाचार पत्र हिंदी व अंग्रेजी के आते थे और 1500 से 2000 शहीदों के बारे में जानकारी हेतु किताबें रखी हुई थी। अब वाचनालय में ये किताबें एक ढेर के रूप में रखी हुई हैं। इन किताबों पर धूल जमी हुई है (3) महोदय, इसी प्रकार प्रदर्शनी स्थल का भी बुरा हाल है उसमें भी ताला लगा रहता है। बड़ी संख्या में शहीदों के चित्र टंगे हैं जिन पर धूल चढ़ी हुई है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि शहीद स्मारक, आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है और आप आगरा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन हैं। इसलिए शहीद स्मारक में उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं को ठीक कराने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण को आदेश पारित कर अनुग्रहित करें। क्योंकि यह स्थल शहीदों के सम्मान में बनाया गया है और आगरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। शहर के विभिन्न सामाजिक कार्यों / संकल्पों / यात्राओं का शुभारंभ एवं सार्वजनिक बैठकों का आयोजन इस स्थल पर होता रहता है। आगरा के लगभग सभी जनप्रतिनिधि / गणमान्य एवं शीर्ष अधिकारी इस स्थल पर आते रहते हैं।

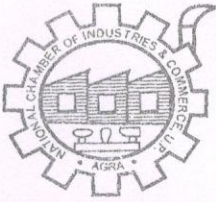
चैम्बर इसमें रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर है।

सादर,

भवदीय,

(मनीष अग्रवाल)

अध्यक्ष



ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
(M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319105336

GOPAL KHANDLWAL
TREASURER
(M) 9837088120

(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 403

दिनांक: 03.12.2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- जोधपुर झाल जल संरक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,

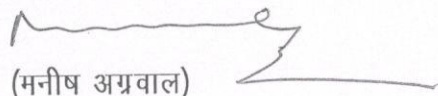
जोधपुर झाल जल संरक्षण सामाजिक जरूरत और शासन की नीति के अनुरूप एक प्रयास है। आगरा जनपद की सीमा पर स्थित पश्चिमी सीमा पर अछनेरा विकास खंड के सीमावर्ती मथुरा जनपद के विकास खंड फरह में 152 एकड़ जमीन को उसकी जल भरण की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जलाशय के रूप में विकसित करने की योजना को तेजी के साथ क्रियान्वयन की जरूरत है। जोधपुर झाल के क्रियान्वयन हेतु इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। जैसे 1. आगरा कैनल के टर्मिनल राजवाह की नहरी मेड (पटरी) का सुधर्दीकरण खासकर उन स्थानों पर जहां नहर से पानी लेने को फहरूल लगे हैं तथा मिट्टी दरक गयी है। 2. सिकन्दरा राजवाह में मेड का सुधर्दीकरण, 3. नहर के कीठम एस्केप के डाउन में नहर की ओवर फलों स्थिति से नहर को नियंत्रित करने को चार फैरूल गेटो को लगाने का काम। (सिकन्दरा राजवाह आगरा नहर का दूसरा बड़े डिसचार्ज की नहर है। जलराशि आवंटन के सापेक्ष इसकी संरचना होने और इसके मूल सिंचन क्षेत्र में आयी गिरावट तथा टेल अब पनवारी गांव के अलावा अरसेना, अटूस तथा रुनकता गांवों का ही कृषिक्षेत्र रह गया है। हालांकि नहर को होने वाले वाटर डिसचार्ज की मात्रा कम रह गयी है। किन्तु नान रोस्टर के दिनों खासकर जायद के दिनों तथा मानसून समय से होने पर खरीफ के मौसम में नहर में भरपूर पानी रहता है और इसे एस्केपों से डिसचार्ज करने की जरूरत रहती है।) 4. सिंचाई विभाग के निर्देशन में कई चरणों में पी पी पी (पब्लिक, पार्टनरशिप पैटर्न के तहत उपरोक्त कार्य होगा, सुपरवीजन और यथा संभव संसाधन सिंचाई विभाग से अपेक्षित है।)

महोदय, इस संबंध में चेंबर द्वारा सिंचाई विभाग आगरा के अधीक्षण अभियंता एवं उसकी टीम के साथ 10 सितम्बर 2021 को बैठक आयोजित की थी। जोधपुर झाल में उपरोक्त सुधारों के लिए चैम्बर ने यह प्रस्ताव रखा था कि सिंचाई विभाग डिजाइन बनाकर सरकार से स्वीकृति प्रदान करवाने में सहोग करे। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता महोदय ने इस सामाजिक कार्य के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजने का आश्वासन दिया था किन्तु अब उनके द्वारा इस कार्य में रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

महोदय, सिंचाई विभाग को निर्देशित करने की अनुकम्पा करें कि इस पुनीत कार्य के लिए विभाग रुचि लेते हुए अग्रिम कार्यवाही करें।

सादर,

भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL

PRESIDENT

☎ (M) 9412154321

ANIL AGARWAL

VICE PRESIDENT

☎ (M) 9319108920

SUNIL SINGHAL

VICE PRESIDENT

☎ (M) 9319105336

GOPAL KHANDLWAL

TREASURER

☎ (M) 9837088120

(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

एनसीआईसी/01/2021-22/404

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के सूचना केंद्र /रिसोर्स सेंटर का सुध्दीकरण एवं पर्यटकों हेतु उपयुक्त फर्नीचर से सुसजित कर सञ्चालन के सम्बन्ध में

महोदय,

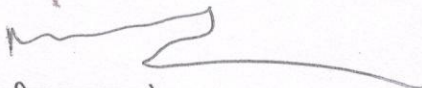
सूर सरोवर आगरा जनपद का ईको टूरिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। वर्ष 2019 में इसके परिसर में प्रवेश द्वार पर स्थित सूचना केन्द्र को प्रकृति अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रयास जलाधिकार फाउंडेशन आगरा के द्वारा किया गया था। कतिपय कारणों से यह लगातार संचालित नहीं रह सका।

आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकृति अध्ययन केन्द्र की रंगाई/पुताई और विजिटर उपयुक्त फर्नीचर से युक्त कराने के लिए सेंचुरी प्रशासन को निर्देश जारी कर अनुग्रहित करें और इसे नियमित रूप से संचालित किया जाए। सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी से संबंधित फोल्डर एपैम्पलेट तथा मिनी पॉकेट बुक एवं सेंचुरी प्रोजेक्ट की चम्बल सेंचुरी से संबंधित जानकारीयों का एक फोल्डर प्रकाशित कराया जाये। इससे आगरा के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

चैम्बर इसके रखरखाव का खर्चा उठाने के लिए तैयार है।

सादर,

भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

ESTD : 1949

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
☎ (M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319105336

GOPAL KHANDLWAL
TREASURER
☎ (M) 9837088120

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 405

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- आगरा के आईटी पार्क को शीघ्र प्रारंभ करवाने हेतु अनुरोध

महोदय,

आपको विदित ही है कि आगरा में श्वेत श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों पर तदर्थ रोक लगी हुई है जिसमें न तो पुराने उद्योगों का विस्तारीकरण हो सकता है और न ही नए उद्योग लगाए जा सकते हैं।

आगरा में प्रदूषण रहित आईटी उद्योग के लिए आगरा लगभग 2 दशकों से अधिक समय से आगरा में आईटी सिटी की मांग करता चला आ रहा है। किंतु आईटी सिटी के स्थान पर आईटी पार्क को मंजूरी मिली। आईटी पार्क की स्थापना में भी समय समय पर विभिन्न उतार-चढ़ाव आए आते चले गए। 2005 कार्य प्रारम्भ हुआ। पुनः 2011 में चालू हुआ और 2013 में कानूनी अड़चनों के कारण फिर बंद हो गया। 2018 में आश्वासन दिया गया की 2021 में पूरा हो जायेगा। आगरा में आईटी पार्क का आश्वासन द दिया जाता रहा और कार्य में बिलम्ब होता चला गया। अब अंत में वर्तमान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत शास्त्रीपुरम योजना के अंतर्गत डी ब्लॉक में आईटी पार्क का निर्माण कार्य एसटीपीआई, नोएडा के द्वारा नागर बिल्डर्स के माध्यम से कराया जा रहा है जो दिसंबर 2021 तक पूर्ण होकर संचालित होना है। यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। नेशनल चेबर द्वारा भी एसटीपीआई नोएडा से संपर्क किया गया था जिसमें माह दिसंबर 2021 तक आगरा का आईटी पार्क प्लग एंड प्ले आधार पर संचालित हो जाने की पुष्टि की गयी थी।

महोदय, आगरा में आईटी पार्क आगरा एक बहु-प्रतीक्षित एवं महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि आगरा में उद्योगों पर लगी तदर्थ रोक के कारण रोजगार के अवसरों में बहुत ही कमी आई है जिससे आगरा का युवा वर्ग रोजगार हेतु शहर से लगातार पलायन कर रहा है।

महोदय, आप सहमत होंगे कि आगरा में आईटी पार्क की स्थापना के लिए दो दशकों से भी अधिक समय की प्रतीक्षा आगरावासियों के लिए धैर्य की एक पराकाष्ठा है। इस अंतराल में बहुत बड़ी संख्या में युवा आगरा से पलायन कर चुके हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उचित स्तर पर कार्रवाई कर अनुग्रहित करें ताकि और अधिक प्रतीक्षा किये बिना आगरा में आईटी पार्क हरसंभव माह दिसंबर 2021 में ही प्ले एंड प्लग आधार पर संचालित हो सके। आगरा में आईटी पार्क के प्रारंभ होने से आगरा का ब्रेन ड्रेन रुकेगा और यह आगरा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

आगरावासी आपके प्रति आभारी रहेंगे।

नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार की एक संघीय एवं शीर्ष संस्था है एवं वर्ष 1949 (73 वर्षों) से निरंतर कार्यरत है। इसमें 1600 से अधिक

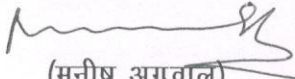


(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो आगरा जनपद एवं आसपास के जनपदों में स्थित हैं, इससे सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जनपद की 25 प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन चौम्बर से सम्बद्ध हैं। इसके अनुभवी सदस्यों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सलाहकार समितियों में नामित किया जाता है तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर नीतिगत मामलों में विचार किया जाता है। अतः प्रदेश व देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख संस्था है।

सादर,

भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष

(मयंक मित्तल)
चेयरमैन – सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ



(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
☎ (M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319105336

GOPAL KHANDLWAL
TREASURER
☎ (M) 9837088120

एनसीआईसी/01/2021-22/५०६

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- शहर में प्रदूषण को रोकने के लिए सिटी गैस वितरण के कार्य में गति लाने के संबंध में

महोदय,

हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 में अपने आदेश के तहत आगरा में प्रदूषण को खत्म करने के लिए उद्योगों में प्रदूषणकारी ईंधन प्रतिबंधित कर दिया था। साथ ही आगरा और लखनऊ शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ऑटोमोबाइल, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा घरेलू उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक अध्ययन किया गया। यह उत्तरदायित्व गैल इंडिया लिमिटेड एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 2005 में ग्रीन गैस लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन कर आगे बढ़ाया गया।

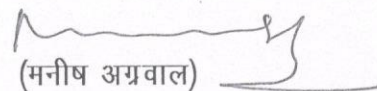
ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा सिटी गैस डिसटीब्यूशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं को स्थापित करना प्रारंभ किया गया। किंतु इस कार्य में धीमी गति के कारण आज तक 15 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी यह कार्य अपेक्षा से बहुत कम पूरा हो सका है। शहर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने, पीएनजी कनेक्शन के लिए शहर की सभी कॉलोनियों में पाइप लाइन बिछाने, आवेदकों को कनेक्शन देने एवं छोटे उद्यमियों को कनेक्शन देने के लिए नेशनल चौंकर द्वारा ग्रीन गैस लिमिटेड के साथ समय-समय पर पत्राचार एवं शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर इस कार्य की गति बढ़ाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। ग्रीन गैस लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा भी सिटी गैस वितरण के कार्य को गति प्रदान करने के लिए यथासंभव प्रयास किए गए हैं। किंतु उनके इन प्रयासों के उपरांत भी कार्य आज भी धीमी गति से चल रहे हैं।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उचित स्तर पर कार्यवाही करते हुए शहर में गैस वितरण के कार्य को गति प्रदान करवाने की अनुकम्पा करें ताकि शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके और शहर प्रदूषण मुक्त हो सके।

आगरावासी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे।

सादर,

भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष

(सीताराम अग्रवाल)
चेयरमैन – शहरी विकास, नागरिक सुविधा एवं ग्रीन गैस प्रकोष्ठ



(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
(M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319105336

GOPAL KHANDELWAL
TREASURER
(M) 9837088120

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 407

दिनांक: 03.12.2021
विनम्र स्मार-पत्र

सेवा में,

श्रीमान अभित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

महोदय,

विषय:- आगरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) की स्थापना के संबंध में
संदर्भ:- एनसीआईसी / 01 / 2021-22 दिनांक 17-11-2021

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि आगरा देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। टीटीजेड के कारण आगरा को जो औद्योगिक हानि हुयी है उसकी भरपाई आज तक नहीं सकी है। बल्कि विपरीत तदर्थ रोक लगने से पुराने उद्योगों के विस्तारीकरण एवं श्वेत श्रेणी के अतिरिक्त नवीन उद्योगों की स्थापना भी नहीं हो सकती जिससे आगरा का औद्योगिक विकास पूरी तरह से रुक गया है। परिणामस्वरूप, रोजगार के आभाव में शहर के युवा अन्यत्र शहरों में जा रहे हैं जिससे आगरा का निरंतर प्रतिभा पलायन हो रहा है।

महोदय, आपको यह भी अवगत ही है कि पूरी दुनिया में विश्व विख्यात ताजमहल के कारण आगरा पर्यटन शहर के रूप में जाना जाता है। मुगल शासन में इसे भारतवर्ष की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। इसे उजड़ने से बचाने के लिए अन्य विकल्पों पर ध्यान देने की महती आवश्यकता है। आगरा पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। अतः आगरा के पूर्व इतिहास एवं वर्तमान भौगोलिक स्थितियों / उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर आगरा में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। आगरा को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने से कुछ सीमा तक आगरा का विकास हो सकता है। आगरा के विकास के लिए आगरावासियों की मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ, भारत सरकार द्वारा भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

महोदय, इसी क्रम में आगरा में उच्च शिक्षा के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू) की स्थापना हेतु चेंबर द्वारा 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार के माननीय विधि एवं न्याय मंत्री – श्रीमान किरण रिजुजी जी एवं विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, भारत सरकार – श्री एस पी सिंह बघेल जी को पत्र के माध्यम आगरा में एनएलयू की स्थापना हेतु अनुरोध किया था। माननीय कानून एवं न्याय मंत्री, श्रीमान किरन रिजुजी जी ने नेशनल चेंबर के पत्र का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आगरा में एनएलयू की स्थापना के संबंध में उचित कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को प्रेषित किया है। इस पत्र के सन्दर्भ में हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय को उचित कार्यवाही हेतु दिनांक 25 अक्टूबर को एक पत्र के माध्यम से सकारात्मक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।



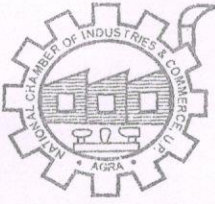
(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

महोदय, चूँकि आप ख्याति प्राप्त आगरा कॉलेज के चेयरमैन हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आगरा कॉलेज में विधि संकाय का विस्तारीकरण करते हुए एनएलयू का दर्जा दिया जाये। इस हेतु एक प्रस्ताव शीघ्र सरकार को प्रेषित किया जाए। क्योंकि चुनाव का समय निकट है। ऐसे समय में सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व इस प्रस्ताव को स्वीकार कर आगरा में एनएलयू की घोषणा की जा सकती है। आगरा में एनएलयू की स्थापना होने से आगरा का प्रतिभा पलायन रुकेंगा जिससे आगरा का सतत विकास होता रहेगा। इस प्रकार एनएलयू की स्थापना आगरा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

सादर,

भवदीय,

(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
(M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
(M) 9319105336

GOPAL KHANDLWAL
TREASURER
(M) 9837088120

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 408

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में,

श्रीमान अभित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- आगरा में यमुना नदी में डिसिल्टिंग के संबंध में

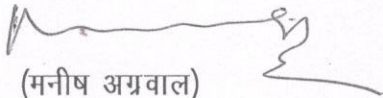
महोदय,

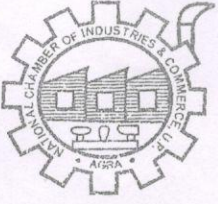
हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि यमुना नदी में 8 से 10 फुट जो कीचड़ कई वर्षों से शहर के गंदे नालों से बहकर जमा हो गई है, जिसके कारण यमुना नदी उथली हो गई है और इसमें जलभराव नहीं हो पता है। इसमें गंदगी का अंबार जमा हो गया है। चेंबर द्वारा कई बार निवेदन किया गया है कि कैलाश से ताजमहल तक यमुना नदी में ड्रेजर मशीन लगाकर 8 से 10 फुट जमा कीचड़ को साफ करा दिया जाए। चेंबर के अनुरोध पर पूर्व में एक ड्रेजर मशीन आगरा में भेजी गई थी। किंतु लखनऊ में गोमती नदी के सफाई हेतु उसे तत्काल वापस बुला लिया गया था। महोदय, आप स्मार्ट सिटी आगरा लिमिटेड के चेयरमैन हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आगरा के लिए ड्रेजर मशीन मंगा कर यमुना नदी में शीघ्र सफाई कराने के आदेश पारित कर अनुग्रहित करें।

प्रकाशित समाचार से ज्ञात हुआ था कि एनजीटी भी यमुना नदी में बढ़ती गंदगी पर चिंतित है।

सादर,

भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



(REGISTRATION No. 1635/1974-75)

ESTD : 1949

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE, U.P.

MANISH AGARWAL
PRESIDENT
☎ (M) 9412154321

ANIL AGARWAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319108920

SUNIL SINGHAL
VICE PRESIDENT
☎ (M) 9319105336

GOPAL KHANDELWAL
TREASURER
☎ (M) 9837088120

एनसीआईसी / 01 / 2021-22 / 409

दिनांक: 03.12..2021

सेवा में,

श्रीमान अमित गुप्ता जी, आईएस
मंडलायुक्त,
आगरा मंडल,
आगरा।

विषय:- आगरा में विधि व्यवस्था के संबंध में

महोदय,

एमजी मार्ग पर पुलिस द्वारा कई मुख्य चौराहों के कट बंद कर दिए हैं जिससे असुविधा हो रही है। सेंट जोन्स चौराहे से राजामंडी चौराहा का कट बंद करने से इमरजेंसी पर बने टी टर्न से ही आना पड़ता है जहाँ ट्रैफिक अधिक होने से इस स्थान पर जाम लग जाता है और दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

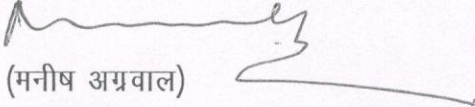
अतः आपसे निवेदन है कि एमजी रोड पर मुख्य चौराहों पर इन अस्थायी कटों को खोलने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देशित करने की अनुकम्पा करें।

इसी प्रकार बाईपास पर कई स्थानों जैसे आईएसबीटी के सामने, अब्बू लाला की दरगाह, वाटरवर्क्स चौराहा एवं रामबाग चौराहे से हाथरस रोड के मोड़ पर रोडवेज बस चालक बसों को रोक कर सवारियां भरते हैं जिससे बाईपास एवं वाटरवर्क्स चौराहे पर तथा हाथरस रोड पर रामबाग चौराहे पर काफी लंबा जाम लग जाता है। आपसे निवेदन है कि रोडवेज बस चालकों को निर्देशित किया जाये कि वह बाईपास एवं मुख्य स्थानों पर बस रोक कर सवारी न भरें। अब्बू लाला की दरगाह, वाटरवर्क्स चौराहा एवं रामबाग चौराहे से हाथरस रोड के मोड़ पर रोडवेज बसों द्वारा रोक कर सवारी भरने एवं जिससे लगे जाम के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीएसआरटीसी, आईएसबीटी, आगरा फोर्ट एवं ईदगाह को निर्देशित करने की अनुकम्पा करें।

सादर,

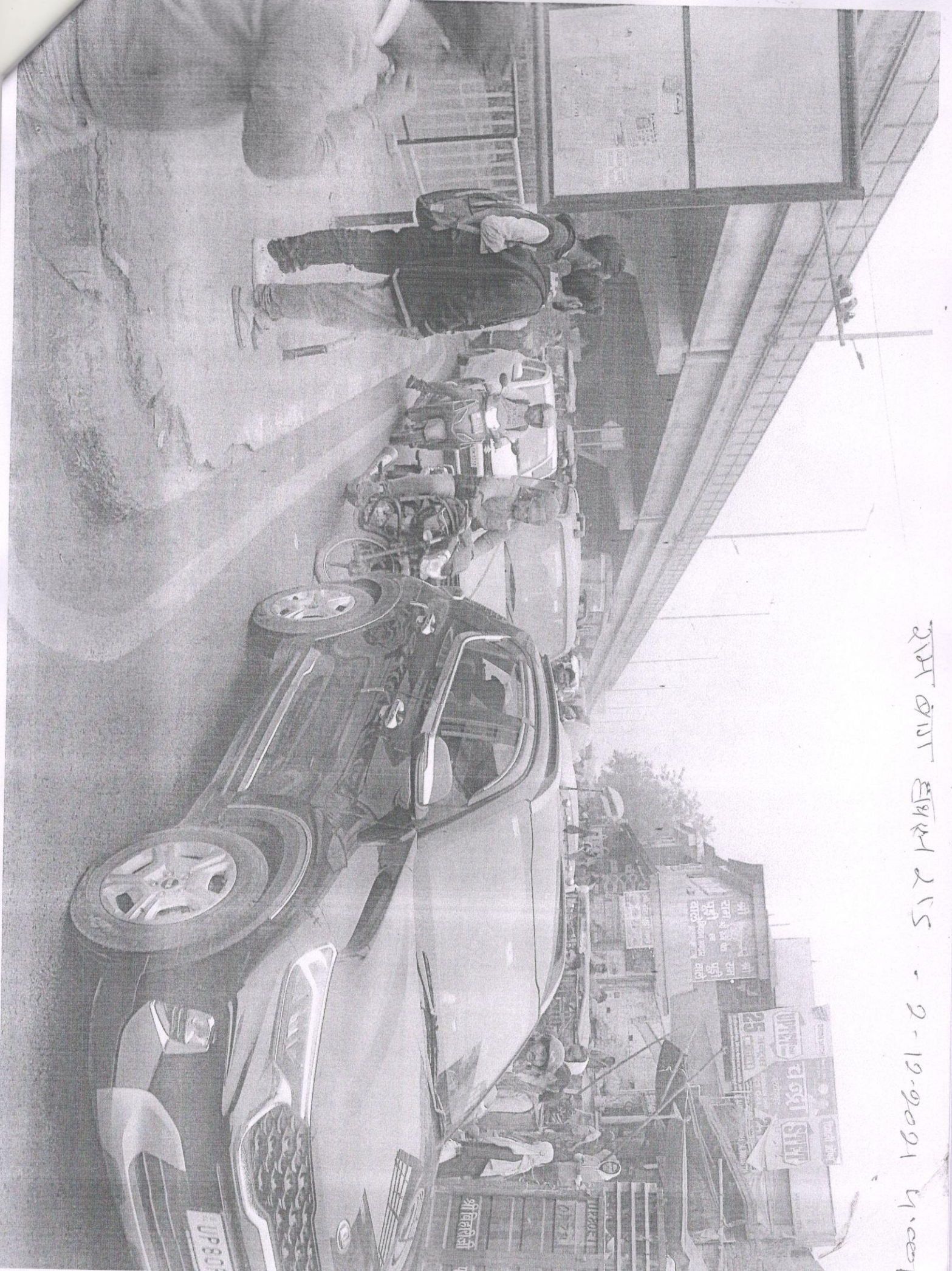
भवदीय,


(मनीष अग्रवाल)
अध्यक्ष



वे/२००१
१८००-०१-०६ १२:५२:१८

21st Oct 2021 - 2-10-2021 4.00



21st Jan 2021
2-12-2021 4:50/201



31st Nov 2021 - 30-11-2021



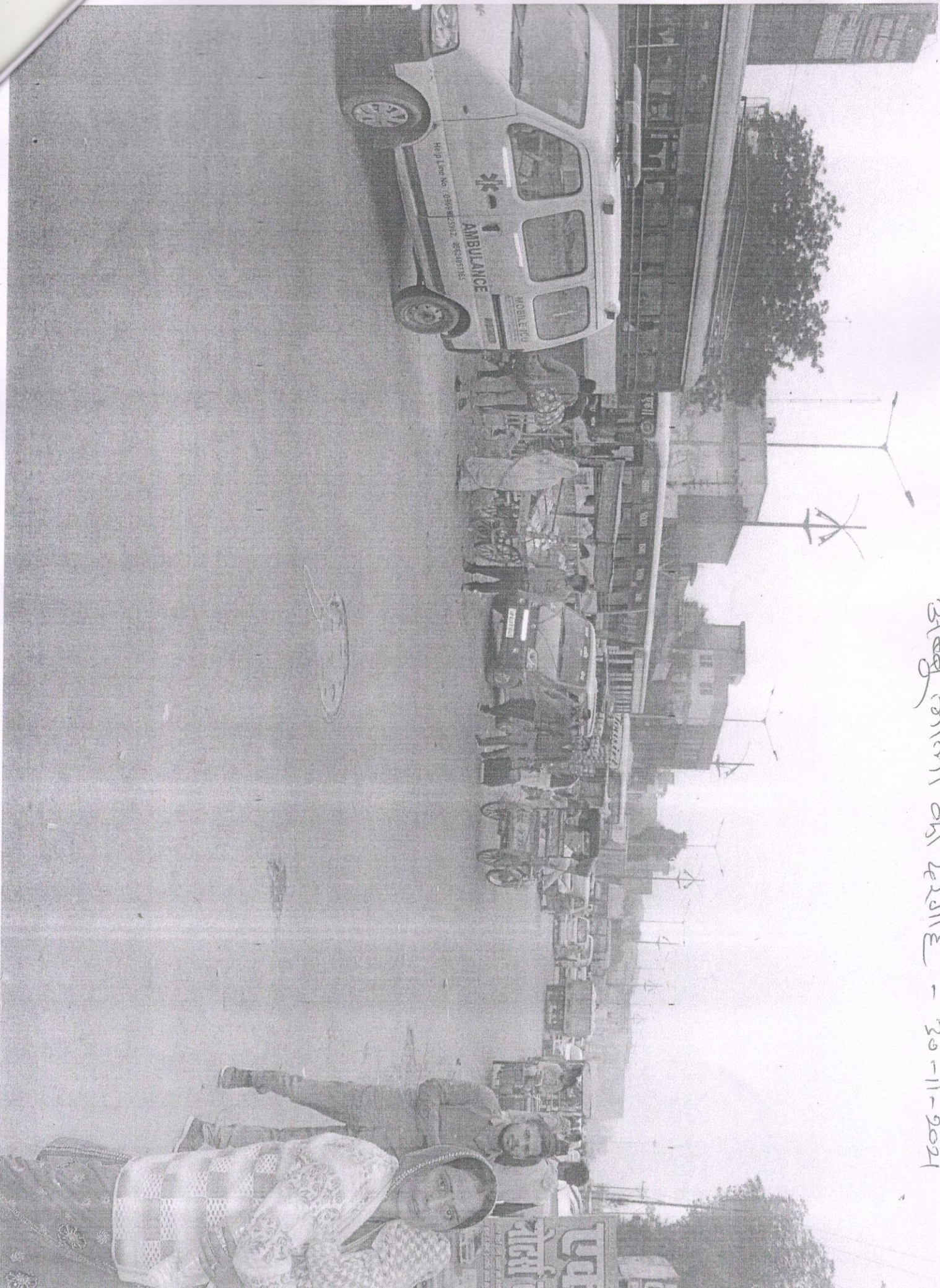
डा. अ. गो. २२११६ ३०-११-२००१



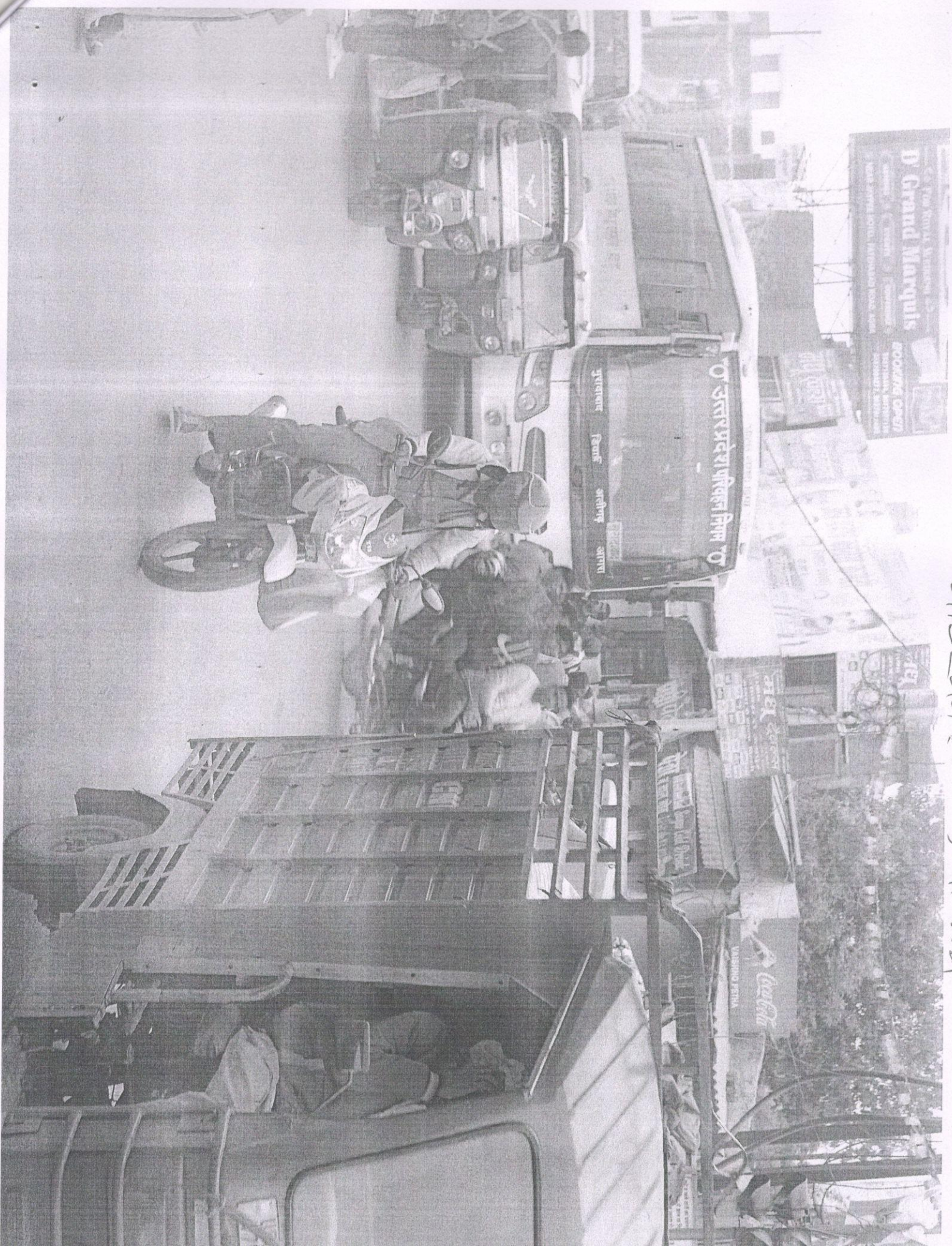
अवध मेली की शुरुआत 30-11-2021

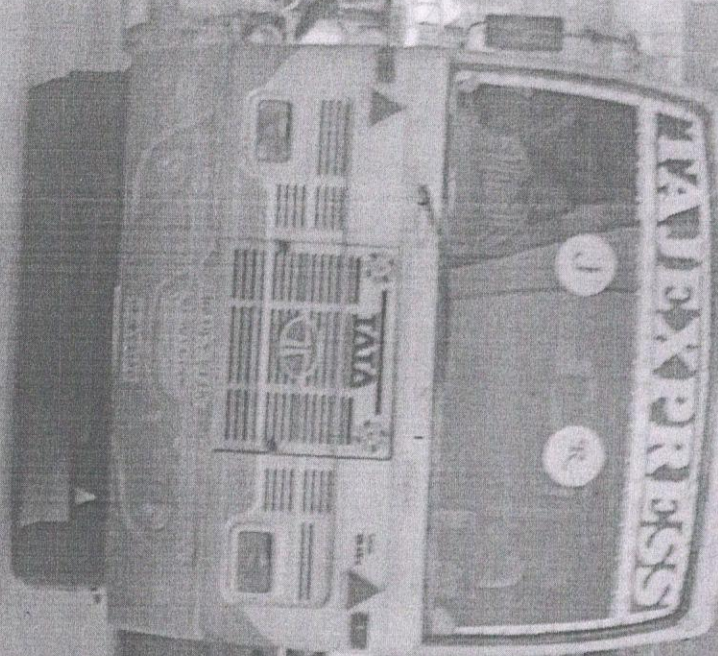


ગાંધી માર્ગ પર રેડક્રોસ - ૩૦-૧૧-૨૦૨૧



0112299424 - 30-11-2001





212290724 - 30-11-2021

गिरेल गिरत - 30-11-2021

